भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ

बनाम

भारतीय स्टेट बैंक व अन्य

03 अप्रेल, 1996

(कुलदीप सिंह व फैजान उददीन जे.जे.)

श्रम कानून

ट्रेड़ यूनियन अधिनियम, 1926-धारा 6(ई) व 22

प्रबंधन के साथ बातचीत-साधारण या अस्थायी सदस्य संबंधित उद्योग के रोजगार में आयोजित नहीं रह गए। न तो प्रबंधन के साथ बातचीत करने का हकदार है और न ही प्रबंधन ऐसे सदस्य के साथ बातचीत करने के दायित्व के तहत बाध्य है। एक मानद/अस्थायी सदस्य या एक निजी व्यक्ति धारा 36(1) सपठित धारा 3 आई.डी अधिनियम के तहत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए धारा 3(2) में कथित मामलों के तहत हकदार नहीं है। दोनों अधिनियमों के आगे के प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करना होगा-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 धारा 3 और 36ए कानूनों की व्याख्या-भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ के नियम: नियम 5, 6, 9 व 14(ए) 9 ।

सदस्यता-सामान्य सचिव के रूप में चुने गए और बाद में सेवानिवृति पर सेवानिवृत हो जाने पर-उसके बाद मानद या अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुने जाने पर-धारित स्थितिः ऐसे व्यक्ति ने सामान्य सदस्य के साथ-साथ महासचिव के रूप में अपनी स्थिति खो दी, इसलिए, वह इसके अधिकार का दावा नहीं कर सकता। एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में प्रबंधन के साथ बातीचीत करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता।

नियम 5 व 6 – सामान्य सदस्य सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत-बाद में केन्द्रीय समिति द्वारा अनुमोदित सर्किल जनरल काउंसिल में पारित प्रस्ताव के आधार पर मानद सदस्य के रूप में निर्वाचित। धारित की वैद्यता -यह दिखाने के लिए रिकार्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि ऐसा कुछ संकल्प था। इसके अलावा कथित संकल्प एक गैर मौजूदा मामले के सम्बन्ध में था क्योंकि संबंधित व्यक्ति अनुमोदन की तारीख के बाद सेवानिवृत हो गया था इसलिए मानद सदस्य के रूप में चुनाव अमान्य है।

नियम 14(ए)(9) और 38-सामान्य परिषद-ऐसी बैठक की त्रैवार्षिक बैठक धारा 38ए में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद ट्रेड़ यूनियनों के रजिस्ट्रार की मंजूरी प्राप्त किए बिना बुलाई गई थी-बैठक वैध नहीं थी इसलिए उस बैठक में महासचिव का चुनाव भी अवैध था।

नियम 14(ए)(9) और 42-सामान्य परिषद-त्रिवार्षिक बैठक-ऐसी बैठक केन्द्रीय समिति के अनुमोदन के बिना नियम 42 के तहत निर्धारित समय सीमा से परे बुलाई गई थी-आयोजन की वैद्यता: एक वैद्य बैठक नहीं है-इसलिए उस बैठक में महासचिव का चुनाव दूषित हो गया।

ऑल इण्डिया स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया स्टाफ फेड़रेशन के नियम: नियम 1(डी), 2(बी) और (ई)(4) 8, 20(जी) और 21-संबद्ध एसोसिएशन-प्रतिनिधित्व एक पूर्व कर्मचारी द्वारा आयोजित: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 व 226 के तहत अनुज्ञेय नहीं है।

दूसरी रिट याचिका की पोषणियता, पहली रिट याचिका को उसी राहत के लिए नई याचिका दायर करने की अनुमति के बिना वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया-प्रश्न खुला छोड़ दिया गया।

अपीलकर्ता संख्या-2 को कर्मचारी संघ के उपनियमों और संविधान के अनुसार 3 साल की अवधि के लिए 16-10-1994 को आयोजित कर्मचारी संघ की सर्कल आम सभा की बैठक में कर्मचारी संघ के महासचिव के रूप में चुना गया था। महासचिव के रूप में अपीलकर्ता संख्या-2 के उक्त चुनाव की 01-11-1994 को केन्द्रीय समिति द्वारा पुष्टि की गई। इस प्रकार अपीलार्थी संख्या-2 को कर्मचारी संघ, अपीलार्थी संख्या-1 और सर्कल प्रबंध के श्रमिक कर्मचारियों का प्रतिनिधत्व करने का वैद्य अधिकार था। इस बीच

अपीलकर्ता संख्या-2 सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने पर 31-01-1975 को प्रत्यर्थी बैंक की सेवा से निवृत्त हो गया। इसके बाद प्रत्यर्थी बैंक ने यूनियन/एसोसिएशन के किसी भी मामले पर अपीलकर्ता संख्या-2 के साथ बातचीत करने से इंकार कर दिया क्योंकि अपीलकर्ता संख्या-2 पहले ही बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका था। अपीलकर्ता ने व्यथित होकर प्रत्यर्थी बैंक के उपरोक्त इंकार को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह पोषणीय नहीं है क्याेंकि इस याचिका को उसी राहत के लिए नई याचिका दायर करने की अनुमति के बिना वापस ले लिया गया था इसलिए यह अपील की गई है। अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि भले ही अपीलकर्ता संख्या-2 सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर प्रत्यर्थी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था, फिर भी वह कर्मचारी संघ के महासचिव के रूप में बने रहने और संघ का प्रतिनिधित्व करने का हकदार है और इसके सदस्यों द्वारा धारा 6(ई) के अनुसार प्रबंधन के साथ बातचीत की जा रही है।

ट्रेड़ यूनियन अधिनियम 1926 की धारा 22 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 36(ए) और 16-10-1994 को सर्कल जनरल काउंसिल में पारित एक प्रस्ताव द्वारा अपीलकर्ता संख्या-2 को कमर्चारी संघ नियमों के नियम के 6 के अर्थ के तहत एसोसिएशन के मानद सदस्य के

रूप में चुना गया था, जिसे बाद में 19-11-1994 को केन्द्रीय समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया था।

उत्तदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि बैंक द्वारा दशकों से अपनाई जा रही प्रथा के अनुसार केवल एक सेवारत कर्मचारी ही बैंक के साथ द्विपक्षीय चर्चा में संघ का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो प्रथा कर्मचारी महासंघ द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। यद्यपि बाहरी लाेगों को ट्रेड़ यूनियनों और उसके पदाधिकारियों के सदस्यों के रूप में शामिल किया जा सकता है लेकिन ट्रेड़ यूनियन अधिनियम नियोक्ता के अधिकार या विकल्प को केवल ऐसे पदाधिकारियों के साथ बातचीत करने से प्रतिबंधित नहीं करता है जो विशेष रूप से वाणिज्यिक सरोकार में उसके सेवारत कर्मचारी हैं। बैंकिंग उद्योक की तरह वह अपीलकर्ता संख्या-2 को सेवानिवृत्ति पर बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद प्रबंधन के साथ बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं था और कर्मचारी संघ का त्रैवार्षिक चुनाव 1992 में होना था जबकि अपीलकर्ता संख्या-2 को महासचिव के रूप में चुना गया था। ट्रेड़ यूनियनों के रजिस्ट्रार की पूर्वानुमति के बिना नियम 38(ए) में निहित 9 महीने की निर्धारित अवधि के काफी बाद 16-10-1994 को त्रैवार्षिक बैठक आयोजित की गई और इसलिए महासचिव के रूप में अप्रार्थी संख्या-2 का जनरल सेक्रेटरी के रूप में किया गया चुनाव अप्राधिकृत एवं अवैध था।

इस न्यायालय ने अपील काे खारिज किया।

अभीनिर्धारित: 1.1 ट्रेड़ यूनियन अधिनियम 1926 की धारा 6(ई) और 22 के प्रावधान इंगित करते हैं कि एक सामान्य या अस्थायी सदस्य एक पदाधिकारी हो सकता है लेकिन वे कहीं भी यह प्रावधान नहीं करते हैं कि ऐसे सदस्य को प्रबंधन के साथ बातचीत करने का अधिकार होगा या प्रबंधन संघ के एक पदाधिकारी के साथ बातचीत करने के लिए बाध्य होगा जो अब उस उद्योग के रोजगार में नहीं है जिसके साथ ट्रेड यूनियन जुड़ा हुआ है।[1114-बी-सी]

1.2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि कामगारों के प्रतिनिधियों को केवल उन कामगारों में से चुना जाना चाहिए जो पहले से ही प्रतिष्ठान में लगे हुए हैं, न कि किसी बाहरी व्यक्ति या संबंधित प्रतिष्ठान का कोई पूर्व कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को। इसलिए यह तर्क देना सही नहीं होगा कि औद्योगिक विवादों की धारा 3 के साथ पठित धारा 36 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के अनुसार एक मानद/अस्थायी सदस्य या एक निजी व्यक्ति श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने का हकदार है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ट्रेड यूनियन

अधिनियम, 1928 के प्रावधानों को औद्योगिक संगठनों के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ सुसंगत बनाया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले में अपीलकर्ता संख्या-2 स्टाफ एसोसिएशन नियमों के नियम 5 के अर्थ के तहत स्टाफ एसोसिएशन का एक सामान्य सदस्य था। ऐसे सामान्य सदस्य के रूप में उसे 16-10-1994 को आयोजित त्रिवार्षिक बैठक में कर्मचारी संघ के महासचिव के रूप में चुना गया था। माना जाता है कि अपीलार्थी संख्या 2 सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 31-1-1975 को प्रतिवादी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। उन्हें सामान्य परिषद या केन्द्रीय समिति की किसी विशेष बैठक में मानद या अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया था। नियम 9 का खंड (ए) उस स्थिति को और मजबूत करता है जो इस बात पर विचार करता है कि नियमों में कहीं और निहित होने के बावजूद, केंद्रीय समिति/केंद्रीय कार्य समिति/सर्कल समिति/इकाई समिति का सदस्य तुरंत ऐसा सदस्य नहीं रहेगा यदि वह एक वह एक सामान्य/मानद सदस्य नहीं रह गया। चूँकि अपीलार्थी संख्या 2 दिनांक 31-01-1995 को अपनी सेवानिवृत्ति पर एक साधारण सदस्य नहीं रह गया था और चूँकि उसे त्रैवार्षिक या सामान्य परिषद की विशेष बैठक आदि में मानद सदस्य के रूप में नहीं चुना गया था, जैसाकि नियम 6 में अनुज्ञात है, वह न तो सामान्य सदस्य के रूप में बना रहा और न ही मानद सदस्य के रूप में । इसलिए वह संघ के प्रतिनिधि के रूप में

अन्यथा प्रबंधन के साथ बातचीत करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। नियम 14(ए) के खंड (ix) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अधिकार का दावा नहीं कर सकता है जिसमें यह प्रावधान है कि उक्त बैंक के प्रत्येक प्रशासनिक सर्कल के लिए सर्कल जनरल काउंसिल द्वारा चुने गए महासचिव को उस सर्कल के बैंक की किसी भी शाखा/कार्यालय से संबंधित होना चाहिए जिसके लिए वह चुना जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद अपीलार्थी संख्या 2 अब बैंक सर्कल की किसी भी शाखा/कार्यालय से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह माना जाएगा कि वह बैंक की किसी भी शाखा/कार्यालय से संबंधित नहीं है। [1117 -ए-जी

2.2. इसके अलावा, अखिल भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेडरेशन के नियम 1(डी), 2 (बी), और (ई), (वी), 8, 20(जी) और 21 स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि संघ की नीति जिसके द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 भी इससे संबद्ध है, केवल बैंक के एक सेवारत कर्मचारी द्वारा प्रतिनिधित्व की अनुमति देती है, न कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो बैंक का कर्मचारी नहीं रह जाता है। [1117 -एच; 1118-ई]

3. यह तर्क 16-10-1994 को सर्कल जनरल में पारित एक प्रस्ताव द्वारा अपीलार्थी संख्या 2 को कर्मचारी संघ के नियम 6 के अर्थ के तहत संघ के मानद सदस्य के रूप में चुना गया था जिसे बाद में बैठक में

पुष्टि/अनुमोदन किया गया था। 19-11-1994 को केंद्रीय समिति की बैठक दो कारणों से ठीक नहीं है। सबसे पहले, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव था जिसे कथित रूप से बैठक में अनुमोदित किया गया हो। 19-11-1994 को केंद्रीय समिति, जिसके तहत अपीलार्थी संख्या 2 को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद संघ के मानद सदस्य के रूप में निर्वाचित/स्वीकार किए जाने की बात कही गई है। दूसरा, भले ही यह माना जाए कि ऐसा कोई प्रस्ताव था, या अपरिपक्व और एक गैर-मौजूदा मामले के संबंध में जो प्राप्य नहीं था, या तो 16-10-1994 को या 19-11-1994 को अपीलार्थी संख्या 2 के प्रश्न के रूप में एक मानद सदस्य अपने सेवानिवृत्त होने पर 31-1-1995 के बाद ही उत्पन्न हुआ होगा। बशर्ते कि वह स्टाफ एसोसिएशन के नियम 6 के अनुसार चुने गए हों। यह नियम। [1118 -एफ-एच]

4. मान लीजिए, कर्मचारी संघ का त्रैवार्षिक चुनाव 1992 में हो चाहिए था। हालांकि, मंडल की त्रैवार्षिक बैठक 16-10-1994 को बुलाई गई थी जिसमें अपीलार्थी संख्या 2 को महासचिव के रूप में चुना गया था, जब वह बैंक की सेवा में था। मान लीजिए, उक्त त्रैवार्षिक बैठक नियम नियम 38 (ए) में निहित 9 महीने की निर्धारित अवधि के काफी बाद बुलाई गई थी और मान लीजिए कि 16-10-1994 को बुलाने के लिए ट्रेड यूनियनों के पंजीयक की कोई मंजूरी नहीं ली गई थी इसलिए उक्त बैठक में लिए गए

मामलों के संबंध में एक वैध बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है। चूंकि अपीलार्थी संख्या 2 को परिषद की उक्त त्रैवार्षिक बैठक में महासचिव के रूप में चुना गया है, इसलिए इसे वैध चुनाव नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि कर्मचारी संघ के नियमों के नियम 42 में दिया गया है, सर्कल जनरल काउंसिल की त्रैवार्षिक बैठक त्रैवार्षिक कार्यकाल की समाप्ति से 6 महीने के भीतर आयोजित की जानी है जब तक कि विधि द्वारा उसे राेका न जाए और समय के विस्तार के लिए चुनाव के लिए केन्द्रीय समिति और सर्कल कमेटी के पदाधिकारी की मंजूरी की आवश्कता न हो, लेकिन केन्द्रीय कमेटी की ऐसी कोई मंजूरी रिकाॅर्ड़ पर नहीं रखी गई हैैै। अपीलकर्ता-2 का चुनाव महासचिव के तौर पर इस लिहाज से भी खराब रहेगा। इसी वजह से याचिका के साथ-साथ अपील भी विफल हो जाएगी। [1119 -जी-एच; 1120-ए-सी]

5. दिनांक 16-10-1994 को त्रैवार्षिक बैठक आयोजित हुई जिसमें अपीलार्थी सं. 2 का महासचिव के रूप में निर्वाचित होना वैध बैठक नहीं थी। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में इस प्रश्न में जाना आवश्यक नहीं है कि क्या उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा दायर दूसरी रिट याचिका रखरखाव योग्य है या नहीं।

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः सिविल अपील सं. 11259/1995

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 17.7.95 से डब्ल्यू.पी. संख्या 1662(एम/बी)/1995 में न्यायालय।

साथ में

रिट याचिका संख्या 713/1995

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) अपीलार्थियों की ओर से कपिल सिब्बल और प्रमोद स्वरूप।

उत्तरदाताओं के लिए एच.एन. साल्वे, राजीव धवन, संजय कपूर, राजीव कपूर, एम.के. माइकल और रंजन मुखर्जी।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

फैज़ान उदिन, जे. 1. उपरोक्त सिविल में पक्षकार-उपरोक्त सिविल अपील और रिट याचिका में पक्ष एक ही हैं, इस अंतर के साथ कि सिविल अपील में, अपीलकर्ताओं ने 17 जुलाई, 1995 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है। एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन, बेंच लखनऊ ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 1662 (एम/बी) 1995 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह पिछली रिट याचिका संख्या की तरह सुनवाई योग्य नहीं है। 1995 की धारा 400 (एस/बी) को उसी राहत के लिए नई याचिका दायर करने की अनुमति के बिना वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया

जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका उत्तरदाताओं द्वारा लखनऊ सर्कल के महासचिव को जारी 3 मई, 1995 के पत्र को रद्द करने और परमादेश की रिट के लिए राहत से संबंधित है। उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता एसोसिएशन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने और अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता नंबर-2 श्री एमआर अवस्थी, जो स्टाफ एसोसिएशन के महासचिव होने का दावा करते हैं, के साथ बातचीत करने के लिए कहा गया है। अपीलकर्ता और याचिकाकर्ता एक ही हैं, उन्हें इसके बाद अपीलकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

2. अपील के ज्ञापन और रिट याचिका के संक्षेप में तथ्य यह निकलते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक, प्रतिवादी नंबर-1 लखनऊ में एक सहित 13 स्थानीय प्रधान कार्यालयों में विभाजित है। इन प्रधान कार्यालयों को प्रतिवादी बैंक के मंडल कहा जाता है। सभी सर्किलों में एक सर्किल प्रबंधन होता है जिसमें मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधक शामिल होते हैं। अपीलकर्ता क्रमांक-1 -स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन (इसके पहले स्टाफ एसोसिएशन के रूप में संदर्भित) ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (इसके बाद स्टाफ फेडरेशन के रूप में संदर्भित) का एक सहयोगी है, जो एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत स्टाफ एसोसिएशन लखनऊ मंडल के कामगारों/कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता

है। अपीलकर्ताओं के अनुसार, पूरे देश में प्रत्येक सर्कल के साथ-साथ प्रतिवादी बैंक की प्रत्येक शाखा में कर्मचारी संघ का एक कार्यालय है। स्टाफ एसोसिएशन, स्टाफ एसोसिएशन के संविधान और उपनियमों के अनुसार अपने वैध रूप से निर्वाचित पदाधिकारियों के माध्यम से संबंधित सर्कल के कामगारों/कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, उन्हें औद्योगिक मामलों पर बातचीत करने का अधिकार है क्योंकि सर्कल एसोसिएशन और उनके विधिवत निर्वाचित सदस्य उत्तरदाताओं द्वारा मान्यता प्राप्त है। अपीलकर्ताओं का आगे का मामला यह है कि संहिता के अनुसार, संयुक्त सलाहकार समिति जिसमें प्रबंधन और कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि शामिल हैं, दो स्तरों पर गठित की जाती है, अर्थात्, (1) केंद्रीय स्तर पर प्रतिवादी नंबर 1 और (2) प्रतिवादी नंबर 1 के सर्कल के प्रत्येक स्थानीय प्रधान कार्यालय में, जिन्हें क्रमशः बैंक की केंद्रीय सलाहकार समिति और सर्कल सलाहकार समिति कहा जाता है। केंद्रीय सलाहकार समिति का प्रतिनिधित्व कर्मचारी महासंघ के माध्यम से किया जाता है और सर्कल सलाहकार समिति का प्रतिनिधित्व सर्कल कर्मचारी संघ के माध्यम से किया जाता है

3. याचिकाकर्ताओं का आगे का मामला यह है कि 16 अक्टूबर, 1994 को लाजपत भवन, कानपुर में आयोजित कर्मचारी संघ की सर्कल आम सभा की बैठक में अपीलकर्ता नंबर-2 एमआर अवस्थी को कर्मचारी संघ के उपनियमों और संविधान के अनुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए

कर्मचारी संघ के महासचिव के रूप में चुना गया था। महासचिव के रूप में अपीलकर्ता नंबर 2 के उक्त चुनाव की पुष्टि 19 नवंबर, 1994 को वृंदावन में आयोजित केंद्रीय समिति द्वारा की गई थी, जिसके कारण अपीलकर्ता नंबर 2 एमआर अवस्थी को स्टाफ एसोसिएशन क्रमांक 1 एवं मंडल प्रबंधन के लगभग 16,000 श्रमिक/कर्मचारी अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने का वैध अधिकार है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 3, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ के सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक) ने 3 मई, 1995 को अपने आक्षेपित पत्र द्वारा अपीलकर्ता संख्या 2 के महासचिव को सूचित किया कि, केंद्रीय कार्यालय से प्राप्त सलाह के अनुसार, प्रबंधन यूनियन/एसोसिएशन के किसी भी मामले पर अपीलकर्ता नंबर-2 श्री एमआर अवस्थी के साथ बातचीत नहीं करेगा क्योंकि श्री एमआर अवस्थी 31 जनवरी, 1995 को पहले ही बैंक से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यह वैधानिकता है और इस पत्र का औचित्य जो यहां चुनौती के अधीन है।

4. उत्तरदाताओं ने यह तर्क देकर अपील और रिट याचिका का विरोध किया है कि बैंक द्वारा दशकों से अपनाई जा रही प्रथा के अनुसार केवल एक सेवारत कर्मचारी ही बैंक के साथ द्विपक्षीय चर्चा में संघ का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसे कर्मचारी महासंघ द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। उन्होंने यह रुख अपनाया है कि इस तथ्य के कारण कि बैंक एक क्रेडिट संस्थान है, ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर सकता है जिसे

गोपनीयता और निष्ठा की घोषणा से बंधे होने की आवश्यकता नहीं है जिसके द्वारा अन्य सेवारत कर्मचारी बाध्य हैं और यह भी कि अधिनियम कहीं नहीं है इसमें कहा गया है कि नियोक्ता ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत करने के लिए बाध्य है और न ही ऐसी यूनियनों के सदस्य नियोक्ता के साथ बातचीत में अपनी उपस्थिति पर जोर देने के हकदार हैं। उत्तरदाताओं ने दलील दी है कि हालांकि बाहरी लोगों को ट्रेड यूनियनों और उसके पदाधिकारियों के सदस्यों के रूप में प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन अधिनियम नियोक्ता के अधिकार या विकल्प को केवल ऐसे पदाधिकारियों के साथ बातचीत करने से प्रतिबंधित नहीं करता है जो उसके सेवारत कर्मचारी हैं। विशेषकर बैंकिंग उद्योग जैसी व्यावसायिक संस्था में। उत्तरदाताओं ने कहा है कि अपीलकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया अनुशासन संहिता ऐसे पदाधिकारियों को बैंक के साथ प्रतिनिधित्व और बातचीत के किसी भी अधिकार का दावा करने का अधिकार नहीं देता है। उत्तरदाताओं ने आगे यह रुख अपनाया है कि 31 जनवरी, 1995 को बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले अपीलकर्ता नंबर-2 एमआर अवस्थी को यूनियन/स्टाफ एसोसिएशन की ओर से प्रबंधन के साथ बातचीत करने और उसके साथ बातचीत करने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है और प्रबंधन अपने अधिकार में है।

5. कर्मचारी महासंघ द्वारा हस्तक्षेप के लिए दायर आवेदन को हमारे द्वारा अनुमति दे दी गई है। कर्मचारी महासंघ ने वही रुख अपनाया है जो उत्तरदाताओं ने अपनाया है और उत्तरदाताओं का पूरा समर्थन किया है। कर्मचारी महासंघ की ओर से कहा गया है कि यह भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों और प्रथम याचिका सहित सर्कल स्तरीय यूनियनों/एसोसिएशन का केंद्रीय संगठन है, जो इससे संबद्ध हैं, जिसके लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित हैं। इसके नियम और संविधान, यह सभी नीतिगत मामलों से निपटता है और कर्मचारी महासंघ के निर्णय सभी सहयोगियों पर बिल्कुल बाध्यकारी हैं। स्टाफ फेडरेशन ने जोरदार ढंग से कहा है कि दशकों से अपनाई गई स्वीकृत नीति यह है कि एक सेवारत कर्मचारी को छोड़कर किसी को भी द्विपक्षीय मंचों पर सभी स्तरों पर फेडरेशन ऑफ सर्कल यूनियन/एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व नहीं करना होगा। कर्मचारी महासंघ ने ऐसी नीति के लिए पिछले कई वर्षों से सेवा में दबाव डाला है। ऐसा कहा गया है कि 1991 में जब बॉम्बे सर्कल यूनियन के तत्कालीन महासचिव श्री चार्ल्स कॉउटो कर्मचारी नहीं रहे और उन्होंने द्विपक्षीय मंचों पर बॉम्बे सर्कल यूनियन का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया, तो वह अपीलकर्ता नंबर 2 एमआर अवस्थी थे जो उस समय फेडरेशन के अध्यक्ष होने के साथ-साथ स्टाफ एसोसिएशन, लखनऊ के महासचिव भी थे, जिन्होंने केवल एक सेवारत कर्मचारी द्वारा प्रतिनिधित्व की उपरोक्त प्रथा का पूरी तरह से

समर्थन किया था इसलिए, फेडरेशन ने 26 अप्रैल, 1991 के पत्र (अनुलग्नक-बी) में निहित निर्णय के मद्देनजर चार्ल्स कॉउटो के दावे को खारिज कर दिया, जिसमें एमआर अवस्थी एक पक्ष थे। उक्त नीति को फेडरेशन द्वारा 23 दिसंबर, 1994 को अपीलकर्ता संख्या 2 एमआर अवस्थी की अध्यक्षता में आयोजित परिषद की बैठक में अपने नियमों में संशोधन करके औपचारिक रूप दिया गया था।

6. मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और बैंक जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में दक्षता बनाने की दृष्टि से और घर्षण के कारणों को रोकने और दूर करने और दिन-प्रतिदिन के कामकाज में नियोक्ता और श्रमिकों के बीच सामंजस्य बनाने की दृष्टि से स्थापना की और उनके बीच मित्रता और अच्छे संबंधों को सुरक्षित करने के उपायों को बढ़ावा देने के लिए, हमने बार में पार्टियों को अपीलकर्ता नंबर 2, एमआर अवस्थी के महासचिव के रूप में चुनाव की वैधता और उसके बाद भी उनके बने रहने का प्रस्ताव दिया। 31 जनवरी, 1995 को एमआर अवस्थी यूनियन/स्टाफ एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में सेवा से उनकी सेवानिवृत्ति और पार्टियों को अपीलकर्ता नंबर-2 के साथ बातचीत करने से इनकार करते हुए प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा जारी 3 मई, 1995 के विवादित पत्र की वैधता/ औचित्य के अलावा इस पर भी संबोधित करना आवश्यक

था। परिणामस्वरूप, पार्टियों ने हमें इस बारे में संबोधित किया और लिखित प्रस्तुतियाँ भी प्रस्तुत कीं ।

7. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार आग्रह किया कि भले ही अपीलकर्ता नंबर 2, एमआर अवस्थी 31 जनवरी, 1995 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर प्रतिवादी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए, फिर भी वह महासचिव के रूप में बने रहने के हकदार हैं। कर्मचारी संघ का और प्रबंधन के साथ होने वाली वार्ता में संघ और उसके सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 22 में निहित प्रावधानों के साथ पढ़े जाने वाले धारा 6(ई) के प्रावधानों के आधार पर, जो व्यक्ति किसी भी उद्योग में कार्यरत नहीं हैं, जिसके साथ ट्रेड यूनियन जुड़ा हुआ है, वे भी इसके हकदार हैं। ट्रेड यूनियन के सामान्य या अस्थायी सदस्यों के रूप में भर्ती किया जाना चाहिए और इसलिए, प्रतिवादी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी स्टाफ एसोसिएशन के महासचिव एमआर अवस्थी के साथ बातचीत करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि अधिनियम की धारा 6(ई) और धारा 22 के तहत विचार की गई योजना औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 36(1) में विचार की गई योजना के समान है, जिसके तहत कार्यकारी सदस्य या पदाधिकारी एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन जो उद्योग का कर्मचारी नहीं है, वह भी कामगारों का प्रतिनिधित्व

करने का हकदार है और उस आधार पर यह तर्क दिया गया कि 3 मई, 1995 का विवादित पत्र जिसमें यूनियन के महासचिव एमआर अवस्थी के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया गया था, पूरी तरह से गलत, अवैध और शून्य है। इस तर्क का उत्तरदाताओं के साथ-साथ कर्मचारी महासंघ ने भी गंभीरता से विरोध किया है। प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने के लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को देखना उचित होगा।

8. अधिनियम की धारा 6 अपने खंड (ई) के साथ इस प्रकार है:-

6. ट्रेड यूनियन के नियमों में शामिल होने वाले प्रावधान -एक ट्रेड यूनियन इस अधिनियम के तहत पंजीकरण का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसकी कार्यकारिणी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गठित न हो और उसके नियम निम्नलिखित के लिए प्रदान न करें । (ए बी सी डी)

(ई), सामान्य सदस्यों का प्रवेश जो वास्तव में उस उद्योग में लगे या नियोजित व्यक्ति होंगे जिसके साथ ट्रेड यूनियन जुड़ा हुआ है, और गठन के लिए धारा 22 के तहत आवश्यक मानद या अस्थायी सदस्यों (पदाधिकारियों) की संख्या का प्रवेश भी ट्रेड यूनियन के कार्यकारी. (एफ), (जी), (एच), (आई) (जे)....

धारा 22 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

22. उद्योग से जुड़े अधिकारियों का अनुपात -प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन के (पदाधिकारियों) की कुल संख्या के आधे से कम नहीं, वास्तव में उस उद्योग में लगे या नियोजित व्यक्ति जुड़े हुए होंगे जिसके साथ ट्रेड यूनियन जुड़ा हुआ है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 6 दो आवश्यक आवश्यकताओं पर विचार करती है। सबसे पहले, ट्रेड यूनियन की कार्यकारिणी का गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए और जब तक इस तरह से गठित नहीं किया जाता है, तब तक ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत पंजीकरण का हकदार नहीं होगा और दूसरा, ऐसे ट्रेड यूनियन के नियमों को धारा 6 के खंड(ए) से (जे) में उल्लिखित मामलों के लिए प्रावधान करना चाहिए। अधिनियम की धारा 6 के खंड (ई) में मानद या अस्थायी सदस्यों (पदाधिकारियों) के प्रवेश का भी प्रावधान है। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार ऐसा होने पर धारा 6 के खंड (ई) के अनुसार ट्रेड यूनियन के नियमों में सामान्य सदस्यों के प्रवेश का प्रावधान होना चाहिए जो वास्तव में उस उद्योग में लगे हुए या नियोजित व्यक्ति होंगे जिसके साथ ट्रेड यूनियन जुड़ा हुआ है और मानद या अस्थायी संख्या के प्रवेश के लिए भी प्रावधान करना चाहिए।

ट्रेड यूनियन की कार्यकारिणी बनाने की दृष्टि से अधिनियम की धारा 22 के अनुसार आवश्यकतानुसार पदाधिकारी के रूप में सदस्य धारा 22 को पढ़ने से पता चलता है कि यह अनिवार्य है कि ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों की कुल संख्या का कम से कम आधा हिस्सा वास्तव में उस उद्योग में लगे या नियोजित व्यक्ति होने चाहिए जिसके साथ ट्रेड यूनियन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि वास्तव में नियोजित पदाधिकारियों की संख्या किसी भी स्थिति में कुल पदाधिकारियों की संख्या के आधे से कम नहीं होनी चाहिए। धारा 6 और 22 में निहित प्रावधान एक ट्रेड यूनियन के पंजीकरण और उक्त संघ की कार्यकारिणी के गठन से संबंधित हैं। धारा 6 और 22 के प्रावधानों से संकेत मिलता है कि एक सामान्य या अस्थायी सदस्य एक पदाधिकारी हो सकता है, लेकिन वे कहीं भी यह प्रावधान नहीं करते हैं कि ऐसे सदस्य को प्रबंधन के साथ बातचीत करने का भी अधिकार होगा या प्रबंधन इसके लिए बाध्य होगा। संघ के किसी ऐसे पदाधिकारी से बातचीत करें जो अब उस उद्योग के रोजगार में नहीं है जिससे ट्रेड यूनियन जुड़ा हुआ है।

9. अब इस तर्क पर आते हैं कि अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित धारा 6 की योजना औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 36 के समान है, जिसके संदर्भ में एक कर्मचारी अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के कार्यकारी सदस्य

या अन्य पदाधिकारियों का कोई भी सदस्य भेजे जाने का हकदार है, भले ही वह अब उद्योग के रोजगार में न हो, यह इंगित किया जा सकता है कि धारा 3 इस प्रस्तुतीकरण का एक पूर्ण उत्तर है। यह देखा जा सकता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 3 एक कार्य समिति के गठन का प्रावधान करती है जिसमें प्रतिष्ठान में लगे नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों को प्रतिष्ठान में लगे श्रमिकों में से निर्धारित तरीके से और भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के तहत पंजीकृत ट्रेड यूनियन, यदि कोई हो, के परामर्श से चयन किया जाएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत, गठित कार्य समिति को नियोक्ता और श्रमिकों के बीच मित्रता और अच्छे संबंधों को सुरक्षित रखने और संरक्षित करने के उपाय को बढ़ावा देने और उनके सामान्य हित या चिंता के मामलों पर टिप्पणी करने का कर्तव्य सौंपा गया है और ऐसे मामलों के संबंध में किसी भी महत्वपूर्ण मतभेद को दूर करने का प्रयास करें इसलिए, यह स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत श्रमिकों के कर्मचारियों को केवल प्रतिष्ठान में पहले से लगे कर्मचारियों में से चुना जाना है, न कि किसी बाहरी व्यक्ति या संबंधित प्रतिष्ठान के पूर्व कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को। इसलिए, यह तर्क देना सही नहीं होगा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 3 के साथ

पठित धारा 36 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक मानद/अस्थायी सदस्य या एक निजी व्यक्ति उपरोक्त मामलों में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने का हकदार है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों का उल्लेख करते समय, उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के प्रावधानों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ सुसंगत बनाया जाना चाहिए। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि औद्योगिक विवाद अधिनियम एक बहुत वाद का अधिनियम है, जो अन्य मामलों के अलावा, विशेष रूप से नियोक्ता और श्रमिकों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों, दोनों के बीच विवादों और उनके संबंधित प्रतिनिधियों की सहायता से बातचीत के माध्यम से समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन सभी कारणों से और जैसाकि उत्तरदाताओं द्वारा अपने जवाबी हल्फनामे में कहा गया है कि प्रतिवादी-बैंक द्वारा दशकों से एक प्रथा और उपयोग का पालन किया जाता है, जिसके तहत केवल सेवारत कर्मचारी ही बैंक के साथ द्विपक्षीय चर्चा में संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रथा को कर्मचारी महासंघ द्वारा भी मान्यता दी गई है जो भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों के कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों/संघों की गतिविधियों का समन्वय करने वाला एक निकाय है। उत्तदाताओं के इस रूख का कर्मचारी संघ के हस्ताक्षेपकर्ता ने पूरा समर्थन किया है।

10. यहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन के प्रासंगिक नियमों और संविधान पर गौर करना फायदेमंद होगा। कर्मचारी संघ नियमों के नियम (5), (6), (9) और (14) हमारे समक्ष मामले के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक हैं। नियम (5), (6) और (9) संघ की सदस्यता से संबंधित हैं जबकि नियम (14) संघ के प्रबंधन और अधिकारियों से संबंधित हैं। उक्त नियमों के प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैं:-

5. भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी स्थायी कर्मचारी को, जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, एसोसिएशन के सामान्य सदस्य के रूप में नामांकित किया जाएगा, हालांकि, पर्यवेक्षी संवर्ग में पदोन्नत सदस्य कर्मचारी को अपनी सदस्यता बनाए रखने के लिए आवेदन करना होगा।

6. मानद सदस्य-वे व्यक्ति जो नियम 5 के तहत सदस्य के रूप में पात्र नहीं हैं, लेकिन संघ के उदेश्यों और भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उन्हें सामान्य परिषद/केंद्रीय समिति/केंद्रीय कार्य समिति की त्रैवार्षिक या विशेष उद्देश्य के लिए बैठक में मानद सदस्य चुना जा सकता है। इसके अलावा, मानद सदस्यता के मामलों पर सीधे विचार करते हुए, सामान्य परिषद/केंद्रीय समिति/केंद्रीय कार्य समिति सर्कल प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित सभी व्यक्तिगत मामलों पर विचार करेगी।

9. बैंक की सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद सामान्य सदस्य ऐसे सदस्य नहीं बने रहेंगे।

(ए) एसोसिएशन के एक साधारण/मानद सदस्य के अलावा कोई भी केंद्रीय समिति/केंद्रीय कार्य समिति/सर्क ल समिति/यूनिट समिति में किसी भी पद पर रहने या बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा। इन नियमों में कहीं और कुछ भी शामिल होने के बावजूद, केंद्रीय समिति/केंद्रीय कार्य समिति/सर्कल समिति/यूनिट समिति का कोई सदस्य यदि सामान्य/मानद सदस्य नहीं रह जाता है, तो वह तुरंत ऐसा सदस्य नहीं रह जाएगा।

14. संघ का प्रबंधन केंद्रीय समिति में निहित होगा जिसमें शामिल हैं:-

(ए) (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) भारतीय स्टेट बैंक के प्रत्येक प्रशासनिक सर्कल के लिए सर्कल जनरल काउंसिल द्वारा निर्वाचित एक महासचिव जो उस सर्कल के बैंक की किसी भी शाखा/कार्यालय से संबंधित होगा जिसके लिए वह चुना गया है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रत्येक आंचलिक कार्यालय के लिए सर्कल जनरल काउंसिल द्वारा महासचिव चुना जाता है।

(x)आदि...........

नियम 5 पर सरसरी नजर डालने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि एसोसिएशन का सामान्य सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारतीय स्टेट बैंक का स्थायी कर्मचारी होना चाहिए और साथ ही उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि नियम 6 में प्रावधान है कि वह व्यक्ति जो नियम 5 के तहत बैंक का स्थायी कर्मचारी नहीं है, लेकिन संघ की उदेश्यों और भावनाओं के प्रति कुछ सहानुभूति रखता है, उसे सामान्य परिषद आदि की त्रैवार्षिक या विशेष बैठक में मानद सदस्य चुना जा सकता है, इस उद्देश्य से बुलाई गई है। इसके अलावा, नियम 9 के अनुसार बैंक की सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद सामान्य सदस्य ऐसे सदस्य नहीं बने रहेंगे, जबकि नियम 9 के खंड (ए) में प्रावधान है कि एसोसिएशन का एक साधारण/मानद सदस्य किसी भी पद पर बने रहने या बने रहने के लिए पात्र होगा। केंद्रीय समिति/केंद्रीय कार्य समिति/सर्कल समिति/यूनिट समिति में पद, लेकिन उपरोक्त समितियों के ऐसे साधारण/मानद सदस्य का ऐसा सदस्य होना तुरंत समाप्त हो जाएगा यदि वह स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ए.एस.एस.एन. में निहित होने के बावजूद नियमों के विपरीत एक सामान्य/मानद सदस्य नहीं रहता है।

11. यह ध्यान दिया जा सकता है कि एमआर अवस्थी, अपीलकर्ता संख्या 2, स्टाफ एसोसिएशन नियमों के नियम 5 के अर्थ के तहत स्टाफ एसोसिएशन का एक साधारण सदस्य था। ऐसे सामान्य सदस्य होने के

नाते उन्हें 16 अक्टूबर, 1994 को आयोजित त्रैवार्षिक बैठक में स्टाफ एसोसिएशन के महासचिव के रूप में चुना गया था। माना जाता है कि, एमआर अवस्थी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 31 जनवरी, 1995 को प्रतिवादी-बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी समय सामान्य परिषद या उस उद्देश्य के लिए बुलाई गई ऊपर उल्लिखित समितियों की किसी भी विशेष बैठक में मानद या अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया था। नतीजतन, नियम 9 के मद्देनजर एमआर अवस्थी, अपीलकर्ता नंबर 2 बैंक की सेवा सेसेवानिवृत्ति के बाद यूनियन के एक साधारण सदस्य और महासचिव के रूप में अपनी निरंतरता का वैध रूप से दावा नहीं कर सकते हैं। नियम 9 का खंड (ए) इस स्थिति को और पुष्ट करता है जो इस बात पर विचार करता है कि नियमों में कहीं और कुछ भी शामिल होने के बावजूद, केंद्रीय समिति/केंद्रीय कार्य समिति/सर्कल समिति/यूनिट समिति का कोई सदस्य यदि वह सदस्य नहीं रह जाता है तो वह तुरंत ऐसा सदस्य नहीं रहेगा। चूँकि 31 जनवरी, 1995 को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एम.आर.अवस्थी एक साधारण सदस्य नहीं रहे और चूंकि उन्हें नियम 6 में विचार के अनुसार त्रैवार्षिक या सामान्य परिषद की विशेष बैठक आदि में मानद सदस्य के रूप में नहीं चुना गया था, इसलिए वे न तो साधारण सदस्य बने रहे और न ही साधारण सदस्य या एसोसिएशन के मानद सदस्य के

रूप में। इसलिए, वह यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में प्रबंधन के साथ बातचीत करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते।

अन्यथा भी वह नियम 14 (ए) के खंड (ix) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर इस तरह के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, जिसमें यह प्रावधान है कि उक्त बैंक के प्रत्येक प्रशासनिक सर्कल के लिए सर्कल जनरल काउंसिल द्वारा महासचिव किसी भी शाखा से संबंधित होना चाहिए। उस सर्कल के बैंक का कार्यालय जिसके लिए वह चुना गया है। एमआर अवस्थी को बैंक की किसी भी शाखा/कार्यालय से संबंधित तभी कहा जा सकता है जब वह बैंक में कार्यरत हों। सेवानिवृत्ति के बाद वह अब सर्कल के बैंक की किसी भी शाखा/कार्यालय से संबंधित नहीं है क्योंकि यह माना जाएगा कि वह बैंक की किसी भी शाखा/कार्यालय से संबंधित नहीं है। इन तथ्यों और परिस्थितियों में उत्तरदाताओं द्वारा लिए गए और 3 मई, 1995 के आक्षेपित पत्र के माध्यम से अपीलकर्ताओं को बताए गए निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

12. फेडरेशन के संबंधित नियमों पर भी नजर डालना उचित होगा। उक्त नियमों के नियम 1 के खंड (डी) में प्रावधान है कि फेडरेशन का अधिकार क्षेत्र भारतीय संघ के संपूर्ण क्षेत्र तक विस्तारित होगा। नियम 2 फेडरेशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करता है और इसके खंड (बी)

के अनुसार एक उद्देश्य और उद्देश्य भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों के कर्मचारियों के संघ/संघों की गतिविधियों का समन्वय करना है। भारतीय संघ और भारतीय संघ के बाहर की यूनियनें और संबद्ध यूनियनों/संघों की प्रगति और लाभ के लिए अनुकूल नीतियां शुरू करना। नियम 2 के खंड (ई) के उप-खंड (v) में विचार किया गया है कि नीति के मामलों में फेडरेशन का निर्णय सभी सहयोगियों पर पूर्ण और बाध्यकारी होगा। फेडरेशन नियमों के नियम 8 में यह प्रावधान है कि संबद्ध यूनियन/एसोसिएशन/प्रशासनिक सर्कल को किसी भी ऐसे व्यक्ति को फेडरेशन के किसी भी सामान्य निकाय में प्रतिनिधि के रूप में भेजने का अधिकार होगा जो बैंक का सेवारत कर्मचारी है और संबद्ध का पदाधिकारी भी है। इसके अलावा फेडरेशन नियमों के नियम 20 का खंड (जी) केवल भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों के कर्मचारियों के ऐसे संघ/संघों से संबद्धता प्रदान करता है जो सेवारत कर्मचारियों द्वारा संचालित, प्रबंधित और नेतृत्व किए जाते हैं। इसी प्रकार नियम 21 में कहा गया है कि यदि किसी संबद्ध यूनियन/एसोसिएशन/सर्कल का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन, बैंक का कर्मचारी, काउंसिल का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य, बैंक का सेवारत कर्मचारी या पदाधिकारी आदि नहीं रह जाता है, तो उसे बैंक का सेवारत कर्मचारी या पदाधिकारी आदि नहीं माना जाएगा। इस प्रकार उपर्युक्त फेडरेशन नियमों से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि फेडरेशन

की नीति जिसके द्वारा अपीलकर्ता नंबर 1 इसका सहयोगी है, भी बाध्य है, केवल बैंक के एक सेवारत कर्मचारी द्वारा प्रतिनिधित्व की अनुमति देता है, न कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो बैंक का सदस्य नहीं रह जाता है।

13. यह तर्क कि 16 अक्टूबर, 1994 को सर्कल जनरल काउंसिल में पारित एक प्रस्ताव द्वारा एमआर अवस्थी को स्टाफ एसोसिएशन नियमों के नियम 6 के अर्थ के तहत एसोसिएशन के मानद सदस्य के रूप में चुना गया था, जिसे बाद में प्रस्ताव में पुष्टि/अनुमोदित किया गया था। 19 नवम्बर 1994 को केन्द्रीय समिति की बैठक दो कारणों से उचित नहीं मानी गयी। सबसे पहले, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि 19 नवंबर, 1994 को केंद्रीय समिति की बैठक में ऐसा कोई प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था, जिसके तहत एमआर अवस्थी को मानद सदस्य के रूप में निर्वाचित/स्वीकार किए जाने की बात कही गई हो। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद संघ दूसरे, अगर यह मान भी लिया जाए कि ऐसा कोई समाधान था तो यह समय से पहले था और एक गैर-मौजूदा मामले के संबंध में जो 16 अक्टूबर, 1994 या 19 नवंबर, 1994 को प्राप्त करने योग्य नहीं था, क्योंकि एमआर अवस्थी के एक मानद सदस्य होने का प्रश्न था। उनकी सेवानिवृत्ति पर 31 जनवरी 1995 के बाद ही उत्पन्न हो सकता था, बशर्ते कि वह स्टाफ एसोसिएशन नियमों के नियम 6 के अनुसार चुना गया हो।

14. उत्तरदाताओं के वकील श्री हरीश साल्वे और उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित अन्य वकील द्वारा समर्थित हस्तक्षेपकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव धवन ने प्रस्तुत किया कि स्टाफ एसोसिएशन, लखनऊ सर्कल का त्रैवार्षिक चुनाव 1989 में हुआ था और अगले 1992 में कभी-कभी 3 साल के कार्यकाल के बाद चुनाव होने थे और स्टाफ एसोसिएशन नियमों के नियम 38 (ए) के अनुसार, एसोसिएशन की सामान्य परिषद की त्रैवार्षिक बैठक त्रैवार्षिक कार्यकाल से 9 महीने के भीतर आयोजित की जानी चाहिए जब तक कि कानून द्वारा रोका न जाए। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि बैठक त्रैवार्षिक अवधि से 9 महीने के भीतर आयोजित नहीं की जाती है, तो इसे केवल ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार की मंजूरी के साथ आयोजित किया जा सकता है और 16 अक्टूबर, 1994 की त्रैवार्षिक बैठक के बाद से जिसमें एमआर अवस्थी को महासचिव चुना गया था रजिस्ट्रार की मंजूरी के बिना चुनाव कराया गया था, यह अनाधिकृत था और चुनाव अवैध था।

नियम 38(ए) का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-सामान्य परिषद की त्रैवार्षिक बैठक-एसोसिएशन की सामान्य परिषद की त्रैवार्षिक बैठक त्रैवार्षिक अवधि से 9 महीने के भीतर आयोजित की जाएगी: जब तक कि कानून द्वारा रोका न जाए, 9 महीने से अधिक समय के किसी भी विस्तार के लिए ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार की विशिष्ट मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसके

अलावा, कर्मचारी संघ नियमों का नियम 42 उक्त नियम के विभिन्न खंडों में उल्लिखित व्यवसाय के संचालन के प्रयोजनों के लिए सर्कल जनरल काउंसिल की त्रैवार्षिक बैठक से संबंधित है। नियम 42 का खंड (iii) सर्कल समिति के पदाधिकारियों और एसोसिएशन की त्रैवार्षिक सामान्य परिषद के प्रतिनिधियों के चुनाव से संबंधित है।

नियम 42 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-सर्कल जनरल काउंसिल की त्रैवार्षिक बैठक-सर्कल जनरल काउंसिल/एसोसिएशन की केंद्रीय कार्य समिति की त्रैवार्षिक बैठक त्रैवार्षिक कार्यकाल की समाप्ति से 6 महीने के भीतर आयोजित की जाएगी जब तक कि कानून द्वारा रोका न जाए, 6 महीने से अधिक समय के किसी भी विस्तार के लिए केंद्रीय समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

15. माना जाता है कि स्टाफ एसोसिएशन, लखनऊ सर्कल का त्रैवार्षिक चुनाव 1992 में हुआ था। हालांकि, सर्कल की त्रैवार्षिक बैठक 16 अक्टूबर, 1994 को बुलाई गई थी, जिसमें एमआर अवस्थी, अपीलकर्ता नंबर-2 को जब वे बैंक की सेवा में थे तब महासचिव के रूप में चुना गया था। माना जाता है कि उक्त त्रैवार्षिक बैठक नियम 38(ए) में निहित 9 महीने की निर्धारित अवधि के काफी बाद बुलाई गई थी और 16 अक्टूबर 1994 को उक्त बैठक बुलाने के लिए ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार की विशिष्ट

मंजूरी प्राप्त की गई थी इसलिए उक्त बैठक में हुए मामलों के संबंध में वैध बैठक नहीं मानी जा सकती। जैसा कि कहा जाता है कि अपीलकर्ता क्रमांक 2 एम.आर.अवस्थी को परिषद की उक्त त्रैवार्षिक बैठक में महासचिव के रूप में चुना गया है, इसे वैध चुनाव नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि कर्मचारी संघ नियमों के नियम 42 में दिया गया है, सर्कल जनरल काउंसिल की त्रैवार्षिक बैठक त्रैवार्षिक कार्यकाल की समाप्ति से 6 महीने के भीतर आयोजित की जानी चाहिए, जब तक कि कानून द्वारा रोका न जाए और समय के विस्तार के लिए चुनाव के लिए केंद्रीय समिति की मंजूरी की आवश्यकता न हो लेकिन केंद्रीय कमेटी की ऐसी कोई मंजूरी रिकॉर्ड में नहीं रखी गई है। अपीलकर्ता क्रमांक 2 का महासचिव पद पर चुना जाना इस दृष्टि से भी बुरा होगा। इस कारण से भी, याचिका और अपील दोनों गिर जाएंगी।

16. यह भी देखा जा सकता है कि स्टाफ एसोसिएशन, लखनऊ सर्कल के कुछ सदस्यों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, जिसे 5 दिसंबर, 1994 के एक आदेश द्वारा निपटाया गया था। ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल को छह सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त रिट याचिका पर उन याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व का निपटान करने का निर्देश दिया गया था। नतीजतन, रजिस्ट्रार ने मामले को उठाया और यहां

अपीलकर्ताओं सहित सभी संबंधितों को सुनने के बाद, यह निष्कर्ष दर्ज किया कि 16 अक्टूबर, 1994 को आयोजित त्रैवार्षिक बैठक उक्त नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना थी। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और स्टाफ एसोसिएशन नियमों के नियम 38 और 42 को देखने के बाद हमारा यह भी मानना है कि 16 अक्टूबर 1994 को आयोजित त्रैवार्षिक बैठक सचिव की वैध बैठक नहीं थी जिसमें अपीलकर्ता संख्या 2 एम.आर.अवस्थी को जनरल चुना गया था। ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर अब हमारे लिए इस सवाल पर जाना जरूरी नहीं है कि क्या अपीलकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई दूसरी रिट याचिका सुनवाई योग्य थी या नहीं ।

17. ऊपर बताए गए कारणों से, अपील के साथ-साथ याचिका भी विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना।

अपील और याचिका खारिज

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री **सुनील जांगिड़** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)